



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 300]
No. 300]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 1989/ज्येष्ठ 8, 1911
NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 1989/JYAISTHA 8, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 मई, 1989

का.आ. 379(अ) :—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः
प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 2) की
धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
1989 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिसको उक्त अधिनियम
समस्त भारत में प्रवृत्त होगा।

[संख्या 2/89-फा.नं 664/23/89-अफोम]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th May, 1989

S.O. No. 379(E).—In exercise of the powers
conferred by sub-section (2) of section 1 of the

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
(Amendment) Act, 1988 (2 of 1989), the Central
Government hereby appoints the 29th day of
May, 1989, as the date on which the said Act,
shall come into force in the whole of India.

[No. 2/89-F.No. 664/23/89-Opium]

का.आ. 380(अ) :—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः
प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 7क की
उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, एक निधि का
गठन करती है जो राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि कहलाएगी।

[संख्या 3/89-फा. नं 664/23/89-अफीम]

S.O. No. 380(E).—In exercise of the powers
conferred by sub-section (1) of section 7A of the
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
Act, 1985, (61 of 1985) the Central Government
hereby constitutes a Fund to be called the
National Fund for Control of Drug Abuse.

[No. 3/89-F.No. 664/23/89-Opium]

का.आ. 381(अ) :--केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनकी परिसंरक्षक-सम प्रकृति, चोरी के लिए भेद्यता, समुचित भंडारण स्थान के प्रतिस्थापन और प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:--

1. स्वापक औषधियाँ :

- (i) ओपियम;
- (ii) मोर्फिन;
- (iii) हीरोइन;
- (iv) गाजा;
- (v) हशीश,
- (vi) कोडीन,
- (vii) थिबेनीन;
- (viii) कोकेन;
- (ix) पोप्टी तृण, और
- (x) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (xi) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कोई अन्य विनिर्दिष्ट औषधि।

2. मनःप्रभावी पदार्थः

- (i) मेथाक्वालोन;
- (ii) टी.एच.सी.;
- (iii) एमफेटामिन; और
- (iv) उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड () के xxiii] अधीन यथा परिभाषित कोई अन्य मनः प्रभावी पदार्थ।

[सं. 4/89-फा.सं. 664/23/89-ओपियम]

S.O. No. 381(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government, having regard to their hazardous nature, vulnerability to theft, substitution and constraints of proper storage space, specifies the following narcotic drugs and psychotropic substances, namely:—

1. Narcotic Drugs:

- (i) Opium;
- (ii) Morphine;
- (iii) Heroin;
- (iv) Ganja;
- (v) Hashish;
- (vi) Codeine;
- (vii) Thebaine;
- (viii) Cocaine;
- (ix) Poppy straw and any other manufactured drug as defined under clause (xi) of section 2 of the Act.

2. Psychotropic Substances:

- (i) Methaqualone;
- (ii) T.H.C.;
- (iii) Amphetamine; and
- (iv) any other psychotropic substances as defined under clause (xxiii) of section 2 of the said Act.

[No. 4/89-F.No. 664/23/89-Opium]

का.आ. 382 (अ) :--केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, (जो सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क कलक्टर हैं) उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है, और निर्देश देती है कि उक्त सक्षम प्राधिकारी उस धारा की धारा 3 में की तत्साम्यी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की भावत कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	श्री एम.एस. कंबल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर। सक्षम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय इलाहाबाद होगा।	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, बाराणसी के क्षेत्रीय एच.क की अधिकारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से अज्ञित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितबद्ध हैं।
2.	श्री के.बी. वैद्यनाथन, सीमाशुल्क कलक्टर (निवारक), सक्षम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय मद्रास होगा।	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, मद्रास के क्षेत्रीय एच.क की अधिकारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से अज्ञित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितबद्ध हैं।

1	2	3
3.	श्री बी. के. अचारे, सीमाशुल्क कलक्टर (निष्कारण), रक्षम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय कलकत्ता होगा।	स्वापक अधिपति और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो कलकत्ता के क्षेत्रीय एकाक की अधिकांशता के अन्तर्गत अधिपति रूप से अर्जित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितवद्ध हैं।
4.	श्री ए. के. पाण्डे, सीमा शुल्क कलक्टर रक्षम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली होगा।	स्वापक अधिपति और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली के क्षेत्रीय एकाक की अधिकांशता के अन्तर्गत अधिपति रूप से अर्जित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितवद्ध हैं।
5.	श्री एम्. ए. गोविन्दराज, सीमाशुल्क कलक्टर, रक्षम प्राधिकारी जिनका मुख्यालय मद्रास होगा।	स्वापक अधिपति और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, मद्रास के क्षेत्रीय एकाक की अधिकांशता के अन्तर्गत अधिपति रूप से अर्जित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितवद्ध हैं।

[सं. 6189-का.सं. 664/23/89-प्रक्रम]

S.O. No. 382(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 680 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby authorises the officers specified in column 2 of the Table below (being Collectors of Customs and Central Excise), to perform the functions of the Competent Authority under the said Act and direct that the said Competent Authorities perform the functions in respect of the persons specified in the corresponding entries in column 3 thereof.

TABLE

S. No.	Name of Officers	Jurisdiction
1	2	3
1.	Shri M.S. Kanwal, Collector of Central Excise. Competent Authority with Headquarters at Allahabad	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the Zonal unit of Narcotics Control Bureau, Varanasi.

1	2	3
2.	Shri K.V. Vaidya- nathan Collector of Customs(P) Competent Authority with Headquarters at Bombay.	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the zonal unit of Narcotics Control Bureau Bombay.
3.	Shri D.K. Acharya, Collector of Customs (Preventive) Competent Authority with Headquarters at Calcutta.	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the zonal unit of the Narcotics Control Bureau, Calcutta.

1	2	3	1	2	3
4.	Shri A.K. Pandey, Collector of Customs Competent Authority with Headquarters at New Delhi.	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the zonal unit of the Narcotics Control Bureau, Delhi.	5.	Shri S.A. Govindaraj, Collector of Customs Competent Authority with Headquarters at Madras	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the zonal unit of the Narcotics Control Bureau, Madras.

[No. 5189-F.No. 664/23/89-Opium]

का.प्र. 383 (अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक अधिपति और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68क की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, (जो भारत सरकार के संयुक्त राजिब. को पंजित से नीचे के अधिकारी नहीं हैं) उक्त अधिनियम के अधीन प्रशासक के कुर्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है और निवेदन देती है कि उक्त प्रशासक उस सारणी के स्तम्भ 3 में की तत्सम्यक् प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की बाबत कुर्यों का निर्वहन करेंगे।

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	श्री एम. एस. फ़तेल, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टर सक्षम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय इलाहाबाद होगा।	स्वापक अधिपति और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, वाराणसी के क्षेत्रीय एकक की अधिकारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितबद्ध हैं।
2.	श्री के. वी. वैद्यनाथन, सीमाशुल्क कलक्टर (निवारक), सक्षम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय मुम्बई होगा।	स्वापक अधिपति और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, मुम्बई के क्षेत्रीय एकक की अधिकारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितबद्ध हैं।
3.	श्री सी. के. आचार्य, सीमाशुल्क कलक्टर (निवारक) सक्षम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय कलकत्ता होगा।	स्वापक अधिपति और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो कलकत्ता के क्षेत्रीय एकक की अधिकारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितबद्ध हैं।
4.	श्री ए. के. पाण्डे, सीमाशुल्क कलक्टर सक्षम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली होगा।	स्वापक अधिपति और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली के क्षेत्रीय एकक की अधिकारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितबद्ध हैं।
5.	श्री एस. ए. गोविन्दराज, सीमाशुल्क कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय मद्रास होगा।	स्वापक अधिपति और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, मद्रास के क्षेत्रीय एकक की अधिकारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितबद्ध हैं।

S.O. 383(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 68G of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby appoints the officers specified in column 2 of the Table below (being officers not below the rank of Joint Secretary to the Government), to perform the functions of the Administrator under the said Act and direct that the said Administrator perform the functions in respect of the persons specified in the corresponding entreis in column 3 thereof.

TABLE

Sl. No.	Name of Officers	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Shri M. S. Kanwal, collector of central Excise. Administrator with Headquarters at Allhabad.	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the zonal unit of Narcotics Control Bureau, Varanasi.
2.	Shri K.V. Vaidyanathan, Collector of Customs (Preventive) Administrator with Headquarters at Bombay.	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the zonal unit of Narcotics Control Bureau, Bombay.

1	2	3
3.	Shri D.K. Acharya, Collector of Customs (Preventive) Administrator with Headquarters at Calcutta.	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the Zonal Unit of Narcotics Control Bureau, Calcutta.
4.	Shri A.K. Pande, Collector of Customs Administrator with Headquarters at New Delhi	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the zonal unit of Narcotic Control Bureau, Delhi
5.	Shri S.A. Govindraj, Collector of Customs Administrator with Headquarters at Madras.	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the zonal unit of Narcotics Control Bureau, Madras.

[No. 6/89-F.No. 664/23/89-Opium]

अवैध रूप से अजित संपत्ति (प्राप्ति, प्रबंध और व्यय)
नियम, 1989

का.अ. 384(अ) :—केन्द्रीय सरकार, स्वायत्त शोध और मनः
प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 78 द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक,

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ। (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अवैध रूप से अज्ञित संपत्ति (प्राप्ति, प्रबन्ध और व्ययन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से स्वायत्त अधिध और मन-प्रभावी पदायुध अधिनियम, 1985 (1985 का 61) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रशासक" से अधिनियम की धारा 68ख की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "प्रकृति" से इन नियमों से उपायुध प्रकृति अभिप्रेत है;

(घ) "निधि" से अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन गठित अधिध दुष्ययुध निर्युधण के लिए राष्ट्रीय निधि अभिप्रेत है;

(ङ) "गोदाम" से अधिनियम की धारा 68ख की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त संपत्ति के भंडार करण के लिए गोदाम अधिप्रेत है;

अध्याय-2

प्रशासकों को सहायता

3. प्रशासकों को सहायता:—केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर कर्मचारीवृत्त के ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों की, जिन्हें वह उचित समझे, इन नियमों के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और कर्मव्यों का निर्वहन करने में प्रशासक की सहायता करने के लिए व्यवस्था कर सकेगी।

अध्याय-3

गोदामों का नामनिर्देशन, संपत्ति की प्राप्ति और प्रबन्ध

4. गोदामों का नामनिर्देशन:—(1) प्रशासक अधिनियम की धारा 68ब की उपधारा (1) या धारा 68ख की उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेशों में वर्णित संपत्ति के भंडारकरण के लिए, उतने गोदामों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जितने वह उचित समझे।

(2) प्रशासक परिस्तर की सुरक्षा, भंडारकरण क्षमता, संपत्ति की प्रकृति और अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उपनियम (1) में निर्दिष्ट गोदामों का चयन करेगा।

(3) प्रत्येक नामनिर्दिष्ट गोदाम में प्रशासक की सहायता करने के लिए एक गोदाम कीपर और एक गोदाम का भार साधक होगा।

5. संपत्तियों का समुचित लेखा:—प्रशासक संपत्तियां प्राप्त करते समय, उक्त अधिनियम की धारा 68ब की उपधारा (1) या धारा 68ख की उपधारा (3) जैसी भी स्थिति हो, के अधीन किए गए आदेश में वर्णित विशिष्टियों के प्रति निर्वेण द्वारा ऐसी संपत्ति की पहचान सुनिश्चित करेगा।

6. गोदाम रजिस्टर:—प्रशासक नियम 7 में निर्दिष्ट संपत्तियों में भिन्न संपत्ति भी बाबत विशिष्टियां अभिलिखित करने के लिए प्रकृति 1 में रजिस्टर रखवाएगा।

7. मूल्यवान वस्तुओं के लिए रजिस्टर:—संपत्ति, अर्थात् सोना और मोने के प्राधण, हीरे (जिनके अन्तर्गत रफ और बिना कटे हीरे भी हैं), हीरों से भिन्न बहुमूल्य और कम मूल्य वाले रत्नों और हाथ की घड़ियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल्यवान वस्तुएं" कहा गया है) की बाबत विशिष्टियां अभिलिखित करने के लिए प्रकृति 2 में एक रजिस्टर रखवाएगा।

8. संपत्ति का भंडारकरण:—(1) प्रशासक यह सुनिश्चित करेगा कि उन बैंकों को जिनमें मूल्यवान वस्तुएं हैं गोदाम में एक लोहे को अक्षमारी और कास्ट में डबल ताले वाली प्रणाली के अधीन रखा जाए जिसकी एक चाबी गोदाम कीपर के पास रहे और दूसरी चाबी गोदाम भार साधक के।

(2) जहां किसी विशिष्टमाय कारण से इन निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि उन बैंकों को, जिनमें मूल्यवान वस्तुएं हैं, गोदाम में नहीं रखी जा सकती तो ऐसे बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा में अन्य रूप से इन प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त साकर्तों में रखा जाएगा।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट बैंकों को अध्यायानुसार, अमानुसार, वर्णानुसार और पुनः जांच और निरीक्षण को सुकर बनाने के लिए समुचित पहचान चिह्नों सहित, व्यवस्थित रूप भंडारकरण किया जाएगा।

9. भूमि या भवन का प्रबन्ध:—प्रशासक अधिनियम की धारा 68न में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को ऐसी रिक्त भूमि या भवन का कब्जा लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जितनी बाबत:—

(i) अधिनियम की धारा 68ब की उपधारा (1) के अधीन ऐसी भूमि या भवन को अधिप्राप्त करने या रोक लेने का आवेण किया गया है, या

(ii) ऐसी भूमि या भवन के समपहरण के लिए अधिनियम की धारा 80ख की उपधारा (1) के अधीन आदेश किया जा चुका है।

10. भूमि या भवन का अधिभोग:—(1) जहां भूमि या भवन की प्रकृति वाली कोई संपत्ति किसी पट्टेदार या किरायेदार के कब्जे में हो और ऐसी संपत्ति के बिन्द अधिनियम की धारा 68ब की उप धारा (1) के अधीन कोई आदेश किया गया हो तो प्रशासक पट्टेदार या किरायेदार को ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार, जो अधिनियम की धारा 68 ब की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने की तारीख को बियमान थी, ऐसी भूमि या भवन को अपने अधिभोग में बसाए रखने की अनुशा दे सकेगा।

(2) ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय को तब तक प्रशासक के पास रखा जाएगा जब तक कि सभम प्राधिकारी धारा 68ख की उपधारा (3) के अधीन उतने समपहृत संपत्ति घोषित नहीं कर देता है।

(3) जहां किसी संपत्ति की बाबत यह घोषणा कर दी जाए कि वह अधिनियम के अधीन समपहृत नहीं की जा सकती वहां प्रशासक युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसी संपत्ति और उससे प्राप्त आय, उसमें ऐसे व्यय, यदि कोई हों, जो संपत्ति के अनुकरण और प्रबन्ध के संबंध में उगत किए गए थे, काटने के पश्चात् उत व्यक्त को लौटा देगा।

11. भूमि या भवन का अभिलेख:—प्रशासक प्रकृति 3 में भूमि या भवन का अभिलेख रखेगा।

12. मूल्यवान वस्तुओं से भिन्न संपत्ति का भंडारकरण:—(1) मूल्यवान वस्तुओं से भिन्न जंगम संपत्ति को अवधारियों और रत्नों में रखा जाएगा।

(2) प्रत्येक झलमारी और रैक का एक स्टॉक कार्ड होगा जिसमें सामला सं. और संपत्ति का पूर्ण विवरण उपरोक्त होगा।

स्टॉक कार्ड का स्थापन :—गोदाम का भार साधक यह सुनिश्चित करेगा कि रैकों या झलमारियों या संपत्ति के भंडारकरण के लिए प्रयुक्त किसी अन्य वस्तु में ऐसे स्टॉक कार्ड प्रेषित किए जाएं जिनमें सामला सं. और भंडारकृत संपत्ति का पूर्ण विवरण उपरोक्त है।

14. पैकेजों का खोलना और उन्हें फिर से मुहर बंद करना :—(1) यदि किसी पैकेज को किसी कारण से खोला जाता है तो ऐसा प्रशासनिक कार्रवाई अधिनियम प्राप्त करने के पश्चात् स्वामी और संबद्ध गोदाम भार साधक की उपस्थिति में किया जाएगा।

(2) पैकेजों को यह उद्देश्य पूरा होने के तुरन्त पश्चात् जिसके लिए ऐसे पैकेजों को खोला गया था, स्वामी और संबद्ध गोदाम भार साधक की उपस्थिति में फिर से मुहरबंद किया जाएगा।

(3) फिर से मुहरबंद करने के पश्चात् स्वामी और संबद्ध गोदाम भार साधक अपनी-अपनी मुहर लगाएंगे।

15. अभिलेखित भविष्यत बाहुनों का अनुरक्षण :—बाहुनों जैसे वायुयान, जलयान मोटरयान और किसी अन्य वाहन की गोदाम भार साधक समुचित रूप से अनुरक्षा करेगा।

प्रध्याय-4

संपत्ति का व्ययन

16. पशुधन, वित्तवस्तु वस्तुओं, आदि का व्ययन :—अधिनियम की धारा 7क के अधीन निधि में विक्रय आगम जमा करने की शर्त के अधीन रहते हुए, प्रशासक पशुधन और ऐसी संपत्ति का जो अपनी प्रकृति के हिसाब से विनश्वर और क्षयशील है ऐसे ढंग से, जो यज्ञ उचित समझे, व्ययन करेगा ;

17. मूल्यवान वस्तुओं का व्ययन :—अधिनियम की धारा 7क के अधीन निधि में विक्रय आगम जमा करने की शर्त के अधीन रहते हुए, प्रशासक नीचे वर्णित मूल्यवान वस्तुओं का निम्नलिखित ढंग से व्ययन करेगा, अर्थात् :—

(1) सोना, सोने के आभूषण, चांदी और चांदी के आभूषण :—मूल्यवान वस्तुओं, अर्थात् सोना, सोने के आभूषण, चांदी और चांदी के आभूषण, भारत सरकार के टकसाल में जमा किए जाएंगे, जो ऐसी संपत्ति का मूल्य केन्द्रीय सरकार के नाम में जमा करेगी।

(2) हीरे :—रफ और बिना कटे हीरे के शायद अनुसूचित श्रावियों को उनकी अनुसूचितियों के प्रति विकल्पित करके नीलामी या निविदा द्वारा बेचा जाएगा। कटे हुए हीरे और पालिश किए गए हीरों को नीलामी या निविदा द्वारा इस विनिश्चित शर्त पर बेचा जाएगा कि ऐसे हीरों का निर्यात किया जाएगा।

(3) हीरों से भिन्न बहुमूल्य और कम कीमत वाले रत्न :—

(i) हीरों से भिन्न रफ और बिना कटे बहुमूल्य और कम कीमत वाले रत्नों को देशी बाजार में अनुसूचित श्रावियों को उनकी अनुसूचितियों के प्रति विकल्पित करके नीलामी या निविदा द्वारा बेचा जाएगा।

(ii) हीरों से भिन्न कटे हुए और पालिश किए गए बहुमूल्य और कम कीमत वाले रत्नों का नीलामी या निविदा द्वारा देश में ही बेचा जाएगा।

18. करों का व्ययन :—(1) भारतीय और विदेशी करों को भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा।

(2) इस प्रकार जमा की गई रकम को हम अधिनियम के अधीन गठित निधि के नाम में जमा किया जाएगा।

19. अन्य संपत्ति का व्ययन :—नियम 16 से 18 तक में उल्लिखित संपत्तियों से भिन्न संपत्ति का व्ययन सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाएगा।

20. भूमि या भवन का व्ययन :—स्वायत्त संरक्षित क्षेत्र या व्ययन से संबंधित विधि के अंतर्गत उपायों के अधीन रहते हुए और अधिनियम की धारा 7क के अधीन निधि में विक्रय आगम जमा करने की शर्त के अधीन रहते हुए, भूमि या भवन का निविदा या सार्वजनिक नीलामी द्वारा व्ययन किया जाएगा।

21. वाहनों का व्ययन :—वाहनों जैसे वायुयान, जलयान और अन्य प्रकार के वाहनों को सार्वजनिक नीलामी या निविदा द्वारा बेचा जाएगा।

22. रिपोर्टें और विवरणी प्रस्तुत करना :—प्रशासक स्थापक पदार्थ निरीक्षण व्यूरो को एक दैमासिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें उस संपत्ति का मूल्य जो, प्राप्त की गई है और जिसका व्ययन किया गया है और गोदामों तथा बैंकों में रखी गई सभी संपत्तियों का प्रतिशत अतिशेष उपरोक्त होगा।

प्रध्याय-5

प्रकीर्ण

23. कालिक रिपोर्टें :—गोदाम भार साधक प्रत्येक मास में प्रशासक को उस संपत्ति की, जो उस अधिधि के दौरान प्राप्त हुई हो या जिसका व्ययन किया गया हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

24. कालिक निरीक्षण :—प्रशासक गोदाम में रखी गई सभी संपत्ति की सुरक्षा समुचित लेखा और प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अधिकारियों की सहायता में, जो वह उचित समझे, अन्वित्व निरीक्षण और सत्यापन करेगा।

25. प्राप्ति और व्ययन का अभिलेख :—प्रशासक उन सभी संपत्तियों की जिन्हें इन नियमों के अधीन प्राप्त किया गया है या जिनका व्ययन किया गया है, प्राप्ति और व्ययन का अभिलेख रखेगा। वह प्राप्त सभी प्राय और ऐसी संपत्ति को प्राप्ति प्रबंध और व्ययन पर उपरोक्त व्यय का बेचा भी रखेगा।

प्ररूप 1

(नियम 6 देखिए)

सोदाम रजिस्टर

1. सोदाम प्रविष्टि क्रम सं.
2. स्वापक अधिधि और मनः प्रभावी पदार्थ अपराध सं.
3. मुहुरखंड पैकेजों/आधानों में संपत्ति का विवरण
4. पैकेजों/आधानों की सं.
5. मात्रा (पैकेज/आधानानुसार)
6. अधियुक्त का नाम और पता
7. अधिग्रहण/जमा करने वाले अधिकारी का नाम उसके सरकारी पदनाम और पते सहित।
8. अधिग्रहण/जमा करने वाले अधिकारी द्वारा पैकेजों/आधानों पर लगाई गई मुहर का प्रतिरूप।
9. जमा करने की तारीख और समय
10. सभ्य प्राधिकारी/ट्रायब्यूनल को दिखाने के लिए बाहर ले जाने और फिर से वापस लाने की प्रविष्टियाँ
11. ब्ययन के लिए ले जाए जाने की तारीख और समय
12. ब्ययन की प्रविष्टियाँ
13. ब्ययन प्रमाणपत्र, जिसके अन्तर्गत कीमत संदाय विधिष्ठियाँ और निधि के नाम में जमा रकम भी है।
14. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियाँ।

प्ररूप 2

(नियम 7 देखिए)

मूल्यवान वस्तुओं के लिए सोदाम रजिस्टर

1. सोदाम प्रविष्टि क्रम सं.
2. स्वापक अधिधि और मनः प्रभावी पदार्थ अपराध सं.
3. मुहुरखंड पैकेजों/आधानों में संपत्ति का विवरण।
4. पैकेजों/आधानों की सं. (मदालुसार)
5. प्रविष्टि के समय मुहर की दशा
6. मात्रा (पैकेज/आधानानुसार)
7. अधियुक्त का नाम और पता
8. अधिग्रहण/जमा करने वाले अधिकारी का नाम उसके सरकारी पदनाम और पते सहित।
9. अधिग्रहण/जमा करने वाले अधिकारी द्वारा पैकेजों/आधानों पर लगाई गई मुहर का प्रतिरूप।
10. जमा करने की तारीख और समय
11. सभ्य प्राधिकारी/ट्रायब्यूनल को दिखाने के लिए बाहर ले जाने और फिर से वापस लाने की प्रविष्टियाँ
12. ब्ययन के लिए ले जाए जाने की तारीख और समय
13. ब्ययन की प्रविष्टियाँ।
14. ब्ययन का प्रमाणपत्र, जिसके अन्तर्गत कीमत संदाय विधिष्ठियाँ और अधिधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि में जमा की गई रकम भी है।
15. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियाँ

* मूल्यवान वस्तुओं के अन्तर्गत ये आण्डे :—(1) बहुमूल्य और कम कीमत वाले रत्न; (2) सोना और सोने की वस्तुएँ; (3) आभूषण; (4) चाँदी और चाँदी की वस्तुएँ; और (5) यष्टियाँ।

प्ररूप 3

(नियम 11 देखिए)

भूमि और भवन के लिए अधिलेख

क्रम सं.	अपराध सं.	अंतिम स्वामी की विभिन्नियाँ	अवस्थिति	नगर पालिका राजस्व अधिलेख के अनुसार विवरण	क्षेत्र (भूमि की बर्णा में)	मूल्य	वार्षिक आय	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[सं. 7/89-का.सं. 664/23/89-प्रकीर्ण]

THE ILLEGALLY ACQUIRED PROPERTY (RECEIPT, MANAGEMENT AND DISPOSAL) RULES, 1989

S.O. No. 384(E).—In exercise of the powers conferred by section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

CHAPTER—I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Illegally Acquired Property (Receipt, Management and Disposal) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires,—

- “Act” means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);
- “Administrator” means any officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 68G of the Act;
- “Form” means form annexed to these rules;
- “Fund” means the National Fund for Control of Drug Abuse, constituted under sub-section (1) of section 7A of the Act;

(e) “Godown” means a godown for storage of property received under sub-section(2) of section 68G of the Act.

CHAPTER—II

ASSISTANCE TO THE ADMINISTRATORS

3. Assistance to the Administrators.—The Central Government may provide from time to time such members of staff and other persons as it thinks fit to assist the Administrator in exercise of his powers and performance of duties under these rules.

CHAPTER—III

DESIGNATION OF GODOWNS, RECEIPT AND MANAGEMENT OF PROPERTY

4. Designation of godowns.—(1) The Administrator shall designate as many godowns as may be necessary for the storage of property mentioned in the orders made under sub-section (1) of section 68F or sub-section (3) of section 68I of the Act.

(2) The Administrator shall select godowns referred to in sub-rule(1), keeping in view the security of the premises, storage capacity, nature of property and other relevant factors.

(3) Each designated godown shall have a godown keeper and a godown-in-charge to assist the Administrator.

5. Proper accounting of properties.—The Administrator shall, at the time of receiving the properties, ensure proper identification of such property with reference to its particulars mentioned in the order made under sub-section (1) of section 68F or sub-section (3) of section 68I of the Act, as the case may be.

6. Godown register.—The Administrator shall cause a register in Form I for recording entries in respect of property other than the properties referred to in rule 7 to be maintained.

7. Godown register for valuables.—The Administrator shall cause a register in Form II for recording entries in respect of property, namely, gold and gold jewellery, diamonds (including rough and uncut diamonds), precious and semi-precious stones other than diamonds and wrist watches (hereinafter called 'valuables') to be maintained.

8. Storage of property.—(1) The Administrator shall ensure that the packages containing valuables are kept in the godown in an iron safe and vault, under double lock system one key remaining with the godown-keeper and the other to be retained by the godown-in-charge.

(2) Where, for any valid reasons, it is found that the packages containing valuables may not be kept in godown, such packages shall be kept in lockers obtained exclusively for this purpose, either with any branch of the Reserve Bank of India or of any nationalised bank.

(3) The packages referred to in sub-rule(1) and (2) shall be stored systematically case-wise, serial-wise, year-wise and with proper identification marks to facilitate re-check and inspection.

9. Management of Land and Building.—The Administrator may authorise any officer referred to in section 68 T of the Act to take possession of vacant land or building in respect of which—

- (i) an order of seizure of freezing of such land or building has been made under sub-section (1) of section 68F of the Act; or
- (ii) an order for forfeiture of such land or building has been made under sub-section (1) of section 80I of the Act.

10. Occupation of land or building.—(1) Where any property in the nature of land or building is in possession of a lessee or a tenant and against such property an order under-sub-section(1) of section 68F of the Act has been made, the Administrator may allow the lease or tenant to continue in occupation of such land or building in accordance with such terms and conditions which existed on the date of passing an order under sub-section(1) of section 68F of the Act.

(2) The income derived from such property shall be kept with the Administrator until such

time the competent authority declares the property forfeited under sub-section (3) of section 681.

(3) Where any property is declared not liable to be forfeited under the Act, the Administrator shall, within reasonable time, return to the person such property and the income derived therefrom after deducting such expenses if any, which were incurred on the maintenance and management of the property.

11. Record of land or building.—The Administrator shall maintain a record of land or building in Form III.

12. Storage of property other than valuables.—(1) movable property other than valuables shall be stored in Almirahs and racks.

(2) Each Almirahs and rack shall have a stockcard indicating the case No. and full description of the property.

13. Placement of Stock-cards.—The godown-in-charge shall ensure that the racks or almirahs or any other thing used for storage of property, display stock-cards indicating the case No. and full description of the property stored.

14. Opening and re-sealing of the packages.—(1) Where any package is to be opened for any reason, the same shall be opened in the presence of the owner and the concerned godown-in-charge after obtaining the order of the Administrator.

(2) The packages shall be resealed immediately after the purpose, for which such packages were opened, is fulfilled in the presence of the owner and the concerned godown-in-charge.

(3) At the time of resealing, the owner, and the concerned godown-in-charge, shall affix their seals.

15. Maintenance of seized/confiscated conveyances.—Conveyances, such as aircrafts, vessels, motor vehicles and any other mode of conveyance shall be properly maintained by the godown-in-charge.

CHAPTER—IV

DISPOSAL OF PROPERTY

16. Disposal of livestock, perishables, etc.—Subject to the sale proceeds being credited to the Fund under section 7A of the Act, the Administrator shall dispose of the livestock and property which is perishable in nature or prone to decay in the manner as he deems fit.

17. Disposal of valuables.—Subject to the sale proceeds being credited to the Fund under section 7A of the Act, the Administrator shall dispose of the valuables mentioned below in the following manners, namely :—

- (1) Gold, Gold Jewellery, Silver and Silver Jewellery : The valuables, namely, gold, gold jewellery, silver and silver jewellery shall be deposited in the Government of India Mints which shall credit the value of such property to the Central Government.
- (2) Diamonds : Rough and uncut diamonds shall be sold either by auction or tender to import licence holders against debit of their licences. Cut and polished diamonds shall be sold by auction or tender with the specific condition that such diamonds shall be exported.
- (3) Precious and semi-precious stones other than diamonds : (i) Rough and uncut precious and semiprecious stones other than diamonds shall be sold by auction or tender to holders of import licences against debit of their licences, in the internal market.
- (ii) Cut and polished precious and semi-precious stones, other than diamonds, shall be sold internally, by auction or by tender.

18. Disposal of currency.—(1) Indian and Foreign currency shall be deposited with the Reserve Bank of India or any nationalised Bank.

(2) The amount so deposited shall be credited to the Fund constituted under this Act.

19. Disposal of other property.—Property other than those mentioned in rules 16 to 18 shall be disposed of by public auction.

20. Disposal of land or building.—Subject to the relevant provisions of any law relating to the acquisition or disposal of immovable property and also subject to the sale proceeds being credited to the Fund under section 7A of the Act, land or building shall be disposed of by tender or by public auction.

21. Disposal of conveyances.—Conveyances, such as aircrafts, vessels, vehicles and other mode conveyance shall be sold by public auction or by tender.

22. Furnishing Reports and Returns.—The Administrator shall furnish a quarterly statement to the Narcotics Control Bureau indicating the value of the property received and disposed of and the closing balance of all properties kept in the godowns and banks.

CHAPTER—V

MISCELLANEOUS

23. Periodical Reports.—The godown-in-charge shall submit, every month, a report to the Administrator of the property received or disposed of during that period.

24. Periodical Inspection.—The Administrator with a view to ensuring safety, security, proper accounting and management of all properties in the godowns, conduct physical inspection and verification with the help of such officers as he thinks fit.

25. Record of Receipt and Disposal. The Administrator shall maintain a record of receipt and disposal of all properties received and disposed of under these rules. He shall also maintain an account of all income received and expenditure incurred on receipt, management and disposal of such property.

FORM I

(See rule 6)

GODOWN REGISTER

1. Godown entry S. No.
2. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Crime No.
3. Description of property in the sealed packages/containers.
4. No. of packages/containers
5. Quantity (package/containerwise).
6. Name(s) and address(es) of accused.
7. Name with official designation and address of seizing/depositing officer.
8. Facsimile of the seal put on the packages/containers by the seizing officer/depositing officer.
9. Date and time of deposit.
10. Particulars of exit and re-entry for exhibiting to competent authority/Tribunal.
11. Date and time of removal for disposal.
12. Disposal particulars.
13. Certificate of disposal including price payment particulars and credit to the Fund.
14. Remarks of the Inspecting Officer(s)

.....

FORM II

(See Rule 7)

GODOWN REGISTER FOR VALUABLE*

1. Godown entry S. No.
2. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Crime No.
3. Description of the valuables in packages/containers.
4. No of packages/containers (item-wise).
5. Condition of seal at the time of entry.
6. Quantity (package/container-wise).
7. Name(s) and address(es) of accused.
8. Name with official designation and address of sizing/depositing officer.
9. Facsimile of the seal put on the packages/containers by the seizing/depsoting officer.
10. Date and time of depsoit.
11. Particulars of exit and re-entry for exhibiting to Competent Authority/Tribunal.
12. Date and time of removal for disposal.
13. Disposal particulars.
14. Certificate of disposal including price payment particulars and credit to the National Fund for Control of Drugs Abuse.
15. Remarks of the Inspecting Officer(s)

(*Valuables will include : (1) Precious and semi-precious stones ; (2) Gold and articles of gold ; (3) Jewellery ; (4) Silver and articles of silver ; and (5) Watches.

FORM III
(See Rule 11)

RECORD FOR LAND AND BUILDING

S. No.	Crime No.	Particulars of the last owner(s)	Location	Description as per Municipal revenue records	Area (in case of land)	Value	Annual income	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

[No. 7/89-F.No. 664/23/89-OPIUM]

का. प्रा. 385(अ) :—केंद्रीय सरकार, स्थापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 68अ, धारा 68क, धारा 68ड की उपधारा (1) या 68ड के अधीन किए गए आवेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए समपहृत संपत्ति के लिए अपील ट्रायब्यूनल गठित करती है और निम्नलिखित को क्रमशः अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है,—

as Chairman and Members respectively of the said Tribunal,—

- (1) न्यायनूति श्री जी. आर. खन्ना (सेवानिवृत्त न्यायनूति, दिल्ली उच्च न्यायालय) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक संपत्ति समपहृत अधिनियम, 1976 के अधीन गठित समपहृत संपत्ति के लिए अपील ट्रायब्यूनल का अध्यक्ष
- (2) श्री पी. आर. राव, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहृत) अधिनियम, 1976 के अधीन गठित समपहृत संपत्ति के लिए अपील ट्रायब्यूनल का सदस्य
- (3) श्री जी. आर. पटवर्धन, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहृत) अधिनियम, 1976 के अधीन गठित समपहृत संपत्ति के लिए अपील ट्रायब्यूनल का सदस्य

- (1) Mr. Justice D.R. Khanna (Retired Judge of the Delhi High Court), Chairman of the Appellate Tribunal for Forfeited Property constituted under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976. Chairman.
- (2) Shri P.R. Rao, Member of the Appellate Tribunal for Forfeited Property constituted under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 Member.
- (3) Shri G.R. Patwardhan, Member of the Appellate Tribunal for Forfeited Property constituted under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976. Member.

[सं. 8/89--फा. न. 664/23/89-अफीम]

[No. 8/89-F.No. 664/23/89 Opium]

S.O. No. 385(E) —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 68N of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby constitutes an Appellate Tribunal for Forfeited Property for hearing appeals against orders made under section 68F, section 68I, sub-section (1) of section 68K, section 68L, and appoints the following

का. प्रा. 386(अ) :—केंद्रीय सरकार, स्थापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 68ड के अधीन गठित समपहृत संपत्ति के लिए अपील ट्रायब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के लिए उपबंध करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समपहृत संपत्ति के लिए अपील ट्रायब्यूनल (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिहित न हो :—

(क) "अधिनियम" से स्वायत्त अधिधि और मन : प्रभावी पदाय (संघोषण) अधिनियम, 1988 (1989 का 2) द्वारा यथा संशोधित स्वायत्त अधिधि और मन : प्रभावी पदाय अधिनियम, 1985 (1985 का 61) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 68B की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय ट्रायब्यूनल अभिप्रेत है;

(ग) "न्यायाधीश" के अंतर्गत मुख्य न्यायाधी, कार्यकारी न्यायाधीश-अतिरिक्त न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश भी हैं।

(घ) "सदस्य" से ट्रायब्यूनल का सदस्य अभिप्रेत है।

3. अध्यक्ष को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, भत्ते आदि :

(1) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जिसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया हो, उसी दर पर मासिक वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा जो उसे, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्राप्त है। वह ऐसे भत्तों और अन्य फायदों का भी हकदार होगा जो, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त हैं।

(2) जहाँ अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में अपनी कार्यकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति हो जाता है या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इस हेतु नियुक्त किया जाता है तो उसे उस अवधि के लिए, जिसमें वह अध्यक्ष के रूप में सेवारत रहता है, ऐसा वेतन, जो उसकी पेंशन और किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के पेंशन समतुल्य मिलाकर अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन में अधिक नहीं होगा, दिया जाएगा वहुएसे भत्तों और फायदों का भी हकदार होगा जो, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को प्राप्त हैं।

(3) ऐसे व्यक्ति को, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं है और जिसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, 8,000/- प्रतिमास वेतन दिया जाएगा और वह ऐसे भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन पाने वाले सरकारी अधिकारी को प्राप्त हैं।

परंतु यदि अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के समय ऐसा व्यक्ति सरकारी या किसी स्थानीय निकाय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन प्राधिकरण के अधीन अपनी पूर्व सेवा की बाबत कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उसे वेतन में से पेंशन और किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के पेंशन समतुल्य की रकम घटा दी जाएगी।

4. सदस्यों का विद्यमान होने वाले पारिश्रमिक, भत्ते आदि : सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को 7,600/- प्रतिमास वेतन दिया जाएगा और वह ऐसे भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन पाने वाले सरकारी अधिकारी को प्राप्त हैं।

परंतु यदि सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के समय ऐसा व्यक्ति सरकारी या किसी स्थानीय निकाय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन प्राधिकरण के अधीन अपनी पूर्व सेवा की बाबत कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उसे वेतन में से पेंशन और किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के पेंशन समतुल्य की रकम घटा दी जाएगी।

5. सदस्यों के कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत्ति : जहाँ कोई सदस्य, सदस्य के रूप में कार्यकाल के दौरान सरकारी या किसी स्थानीय निकाय

सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन प्राधिकरण से सेवानिवृत्ति हो जाता है तो उसे उस अवधि के वेतन से, जिसके दौरान वह ऐसी सेवानिवृत्ति के पश्चात् सदस्य के रूप में सेवा करता है, पेंशन और अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के पेंशन समतुल्य की रकम घटा दी जाएगी।

6. यात्रा भत्ता : (1) (i) यदि अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश है तो वह ट्रायब्यूनल के कार्य के संबंध में अपने द्वारा की गई यात्रा की बाबत उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा जो, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 या न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 के अधीन उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त है।

(ii) यदि अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है तो वह ट्रायब्यूनल के कार्य के संबंध में अपने द्वारा की गई यात्रा की बाबत अपने पुनः नियोजन के समय प्रवृत्त दरों पर अपनी हकदारी के अनुसार यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

परंतु उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश अपने मुख्यालय से दूर स्थानों में अपने सामान्य कार्यों से निष्काशित करने के लिए, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को राष्ट्रीय उच्चतर दैनिक भत्ते के फायदों का हकदार नहीं होगा।

(2) वह अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं है या कोई सदस्य ट्रायब्यूनल के कार्य के संबंध में अपने द्वारा की जाने वाली यात्रा की बाबत उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारी को प्राप्त हैं।

7. छुट्टी : (1) जहाँ अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो वहाँ वह ऐसी छुट्टी का हकदार होगा जो उसे यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा भत्ते) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा भत्ते) अधिनियम 1954 (1954 का 28) के अधीन उसे प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, जो अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति होता है, वह सेवानिवृत्ति की तारीख से केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शासित होगा।

(2) जहाँ अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो वहाँ वह ऐसी छुट्टी का हकदार होगा जो केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन सरकारी अधिकारी को प्राप्त हो।

(3) सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस छुट्टी का हकदार होगा जो केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन सरकारी अधिकारी को प्राप्त है।

परंतु जब किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाता है जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 हैं, लागू वह अपनी नियुक्ति से पूर्व उसे लागू नियमों के अधीन छुट्टी के लिए पात्र होगा।

8. प्रावधान : (1) जहाँ अध्यक्ष सरदार न्यायाधीश हो वहाँ वहाँ उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा भत्ते) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा भत्ते) अधिनियम, 1954 (1954 का 28), जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार प्रावधान का हकदार होगा।

(2) ऐसा अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश नहीं है और कोई सदस्य प्रावधान का हकदार नहीं होगा।

9. **वासुविधा :** (1) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, किराए का संदाय किए बिना, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तों) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तों) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) के अनुसार सरकारी निवास का उपयोग करेगा :

परन्तु जहाँ उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इस उपनिधम के अनुसार निवास की व्यवस्था नहीं की जाती है, वहाँ उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वेतन के 12-1/2 प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ता सदैव होगा।

(2) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं है, और कोई सदस्य विहित किराए के संदाय पर ऐसी सरकारी वास सुविधा का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को प्राप्त है।

1. **चिकित्सीय परिचर्या (1)(i)** उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तों) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तों) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) के अनुसार चिकित्सीय परिचर्या का हकदार होगा।

(ii) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाए, ऐसी चिकित्सीय सुविधाओं का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार चिकित्सा योजना के अधीन उपलब्ध हैं या जहाँ ऐसी योजना उपलब्ध नहीं है वह ऐसी चिकित्सीय सुविधाओं का हकदार होगा जो कैंबिनेट सदस्यों को उपलब्ध हैं।

(2) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं है और ट्रायब्यूनल का सदस्य ऐसी चिकित्सीय सुविधाओं का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को प्राप्त है।

सेवा अवधि : 11. (1) (क) जहाँ उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वहाँ वह अध्यक्ष के रूप में अपना पद तीन वर्ष तक या पैसठ वर्ष या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जैसी भी स्थिति हो और जो भी पहले हो, धारित करेगा।

परन्तु जहाँ उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, यथास्थिति, पैसठ या बासठ वर्ष की आयु के पञ्चात् अध्यक्ष के रूप में नियुक्त या पुनः नियुक्त किया जाता है वहाँ वह अध्यक्ष के रूप में अपना पद ऐसी अवधि तक, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, जिसका केन्द्रीय सरकार नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के समय अवधारण करेगी, धारित करेगा।

(ख) जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति, जो खंड (क) के अंतर्गत नहीं आता, अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वहाँ वह अपना पद तीन वर्ष की अवधि तक या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पूर्व हो, धारित करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(ग) खंड (घ) में अंतर्भूत किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, उसे लागू नियमों के अधीन अधिकाधिक की आयु प्राप्त होने पर उस खंड में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के पञ्चात् एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला हो तो ऐसा व्यक्ति उक्त नियमों के अधीन अपनी अधिकाधिक की आयु तक अध्यक्ष के रूप में पद धारित करता रहेगा।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति साठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक पद धारण करेगा।

11. **शाखाएँ** अधिनियम और अधिकायी भविष्य निधि में अधिकायी : (क) अधिकायी और सदस्य शाखाएँ भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम 1960 के अधीन शाखाएँ भविष्य निधि निष्ठा में उसी ढंग से अधिकायी बनने के हकदार होंगे जिस ढंग से अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी करते हैं।

(ख) ऐसे अध्यक्ष और सदस्य, जिन्हें सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने पर पुनः नियोजित किया जाता है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो पुनः नियोजित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लागू हों, अधिकायी भविष्य निधि नियम (अन्य), 1962 के अधीन अधिकायी भविष्य निधि निष्ठा में भविष्य करने के हकदार होंगे।

12. पद की शाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, और जो पहले से ही सरकारी सेवा में नहीं है, परग्रहण करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसे अधिकारी के समक जो अपर मन्त्रि से निम्न पंक्ति का न हो, उन नियमों में संगन प्रत्येक में पद की शाय निगा और अपने हस्ताक्षर करेगा।

13. ऐसे अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निर्बंधनों और शर्तों जो तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति संपहरण) अधिनियम के अधीन गठित समग्रहण संपत्ति के लिए अपील ट्रायब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्य हैं; ट्रायब्यूनल का अध्यक्ष या सदस्य किसी बेटन, पारिश्रमिक भत्ता या अन्य फायदों का, जिनका इन नियमों के अधीन अध्यक्ष या सदस्य हकदार है, हकदार नहीं होगा, यदि अध्यक्ष या सदस्य तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति संपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) अंतर्गत पञ्चात् संपत्ति संपहरण का गथा गथा है) के अधीन गठित समग्रहण संपत्ति के लिए अपील ट्रायब्यूनल का, यथास्थिति आतीन अध्यक्ष या सदस्य है और ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के पद के निर्बंधन फसर्पफोपा के अधीन गठित समग्रहण संपत्ति के लिए अपील ट्रायब्यूनल के यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद के निर्बंधनों के सहविस्तरी होंगे।

व्यावृत्ति : 14. ऐसे किसी मामले की बाबत, जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आता, अध्यक्ष और सदस्य ऐसे नियमों या भावेषों द्वारा शासित होंगे जो समतुल्य वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को लागू हों।

निर्बंधन : 15. यदि इन नियमों के निर्बंधन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होती है तो ऐसा मामला केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो उसकी बाबत निर्णय करेगी।

परिगणित

प्ररूप

(नियम 12 देखिए)

में, शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और एकता अक्षुण्ण रखूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक, समानवारी से और पक्षपात के बिना, निर्वहन करूंगा।

ईश्वर मेरी सहायता करे।

हस्ताक्षर :

अध्यक्ष/सदस्य

समग्रहण संपत्ति के लिए अपील ट्रायब्यूनल

अधिकारी, जिसके समक्ष शपथ ली गई

[सं. 9/89-का. सं. 664/26/89-अफीम]

S.O. 386(E) :—In exercise of the powers conferred by section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to provide for terms and conditions of service of the Chairman and other Members of the Appellate Tribunal for Forfeited Property constituted under section 68N of the Act, namely:—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1989.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires : —

- (a) "Act" means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), as amended by the Narcotic Drug and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 1988 (2 of 1989),
- (b) "Chairman" means the Chairman of the Tribunal,
- (c) "Tribunal" means the Appellate Tribunal constituted under sub-section (1) of section 68N of the Act,
- (d) "Judge" includes the Chief Justice, an acting Chief Justice, an Additional Judge an acting Judge,
- (e) "Member" means a member of the Tribunal.

3. Remuneration, allowances, etc. of the Chairman: (1) A Judge of the Supreme Court or of High Court appointed as Chairman shall be entitled to a monthly salary at the same rate as is admissible to him as a Judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be. He shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a Judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be.

(2) Where the Chairman retires from service as Judge of the Supreme Court or of a High Court during the term of office of such Chairman or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court is appointed as such, he shall be paid for the period he serves as Chairman, such salary, which, together with his pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits shall not exceed the last pay drawn by him before retirement. He shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a serving Judge of the Supreme Court or High Court, as the case may be.

(3) A person not being serving Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court appointed as Chairman shall be paid a salary of Rs. 8,000/- per mensem and shall be entitled to draw such allowances as are admissible to a Government officer of equivalent pay:

Provided that if such a person at the time of his appointment as Chairman is in receipt of a pension in respect of his previous service under the Government or any local body/authority owned or controlled by the Government, such salary shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits.

4. Remuneration, allowances, etc. of Members : A person appointed as Member shall be paid a salary of Rs. 7,600/- per mensem and shall be entitled to draw such allowances, admissible to a Government officer of equivalent pay:

Provided that if such a person, at the time of his appointment as Member is in receipt of a pension in respect of any previous service under the Government or any local body/authority owned or controlled by Government, such salary shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits.

5. Retirement during the term of Member : Where a Member retired from service under the Government or any local body authority owned or controlled by the Government during the term of office as such member, his salary for the period he serves as member after such retirement shall be reduced by amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits.

6. Travelling Allowances :

(1) (i) If the Chairman is a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to draw travelling allowance at the rates as are admissible to a Judge of the Supreme Court or of a High Court under the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959 or, as the case may be, the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956, in respect of journeys performed by him in connection with the work of the Tribunal.

(ii) If the Chairman is a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to draw travelling allowance or daily allowance according to his entitlement at the rates in force at the time of his re-employment in respect of journeys performed by him in connection with the work of the Tribunal :

Provided that the retired judge of the Supreme Court or of a High Court shall not be entitled to the

benefit of higher daily allowance admissible to a serving Judge of the Supreme Court or of the High Court, as the case may be, for performing functions outside his normal duties in localities away from his headquarters :

(2) The Chairman, not being a Judge of a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court or any Member shall be entitled to draw travelling allowance in respect of journey performed by him in connection with the work of the Tribunal at the same rates as are admissible to a Central Government officer of equivalent pay.

7. Leave : (1) Where the Chairman is a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to such leave as may be admissible to him under the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958) or as the case may be, the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954). The serving Judge of the Supreme Court or of a High Court retiring during the tenure of appointment as Chairman, he would be governed by Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 with effect from his date of retirement from service.

(2) Where the Chairman is a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to such leave as is admissible to an officer of the Government under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) A person appointed as a Member shall be entitled to such leave as is admissible to an officer of the Government under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 :

Provided that where a person to whom the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 are not applicable, is appointed as the Chairman or a Member, he shall be eligible for the grant of leave under the rules applicable to him before such appointment.

8. Vacation : (1) Where the Chairman is a serving Judge, he shall be entitled to vacation in accordance with the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or as the case may be, the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954).

(2) The Chairman, who is not a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court and a Member shall not be entitled to vacation.

9. Accommodation : (1) A serving Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, who is appointed as Chairman, shall be entitled without payment of rent, to the use of an official residence in accordance with the Supreme

Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or as the case may be, the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954) :

Provided that where a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court is not provided residence in accordance with this sub-rule, house rent allowance at the rate of 12½% of pay shall be payable to such retired Judge of the Supreme Court or of the High Court.

(2) The Chairman, who is not a serving Judge of a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, and a Member shall be entitled to government accommodation on payment of prescribed rent as admissible to a Central Government officer or equivalent pay.

10. Medical Attendance : (1) (i) A serving Judge of the Supreme Court or a High Court shall be entitled to medical attendance in accordance with the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or as the case may be, the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954).

(ii) A retired Judge of the Supreme Court or of a High Court appointed as Chairman shall be entitled to medical facilities as available under the Central Government Health Scheme or where the Central Government Health Scheme is not available, he shall be entitled to medical facilities as available to Cabinet Ministers.

(2) The Chairman, who is not a serving Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, and a Member of the Tribunal shall be entitled to medical facilities admissible to a Central Government officer of equivalent pay.

11. Tenure : (1) (a) Where a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court is appointed as Chairman, he shall hold office as Chairman for a period of three years or till he attains the age of sixty-five years or sixty-two years, as the case may be, whichever happens earlier.

Provided that where a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court is appointed or re-appointed as Chairman, beyond the age of sixty-five or sixty-two years, as the case may be, he shall hold office as Chairman for such period not exceeding three years, as may be determined by the Central Government at the time of appointment or re-appointment.

(b) Where a person not falling under clause (a) is appointed as Chairman, he shall hold office for a period of three years, or till he attains the age of sixty-five years, whichever happens earlier and shall not be eligible for re-appointment.

(c) Notwithstanding anything contained in clause (b) where a person appointed as Chairman is due to retire on attaining the age of superannuation under the relevant rules applicable to him within a period of one year after completion of the period of three years referred to in that clause, such person shall continue to hold office as Chairman till the date of his superannuation under the said rules.

(2) A person appointed as Member shall hold office till he attains the age of sixty years.

11-A. Contributions of General Provident Fund and Contributory Provident Fund :

(a) The Chairman and Members shall be entitled to make contributions towards General Provident Fund Account under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 in the same manner as any other Central Government servant.

(b) Such of the Chairman and Members, as are re-employed after retirement from Government service, shall be entitled to contribute towards the Contributory Provident Fund Account under the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 subject to such conditions as are applicable to re-employed Central Government servants.

12. Oath of office: Every person, appointed as the Chairman or as a Member, not already in Government Service shall, before entering upon office, make and subscribe to an oath of office before an officer of the Central Government not below the rank of Additional Secretary in the form appended to these Rules.

Terms and Conditions of service of Chairman and Members who are Chairman and Member of the Appellate Tribunal for Forfeited Property Constituted under SAFEMFOPA

13. The Chairman or a Member of the Tribunal shall not be entitled for any salary, remuneration, allowance or any other benefits to which the Chairman or Member is entitled under these rules, if the Chairman or Member is a sitting Chairman or Member, as the case may be, of the Appellate Tribunal for Forfeited Property constituted under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976) (hereinafter referred to as SAFEMFOPA) and the terms of office of such Chairman or Member shall be co-terminus with the terms of office of the Chairman or Member, as the case may be, of the Appellate Tribunal for Forfeited Property constituted under SAFEMFOPA.

14. Saving: In respect of any matter not covered by these Rules, the Chairman and a Member shall be

governed by such Rules or Orders, as may be applicable to a Central Government Officer of equivalent pay.

15. Interpretation: If any question arises relating to the interpretation of these Rules, the matter shall be referred to the Central Government, who shall decide the same.

APPENDIX

FORM

(See Rule 12)

I, do swear/solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will carry out the duties of my office loyally, honestly and with impartiality.

So help me God.

Signature:

CHAIRMAN/MEMBER
APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED
PROPERTY

Officer before whom the oath was taken

[No. 9/89—F.No. 664/23/89—Opium]

का. प्रा. 387(अ) :- केन्द्रीय सरकार, स्वायत्त अधिधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षमपहृत सम्पत्ति के लिए अपील ट्रायब्यूनल (फीस) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अपील ट्रायब्यूनल के अधिलेखों और रजिस्ट्रारों के निरीक्षण के लिए फीस का मापमान—(1) अपील ट्रायब्यूनल के अधिलेखों और रजिस्ट्रारों के निरीक्षण के लिए फीस का संवय निम्नलिखित रूप से किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) निरीक्षण के पहले घंटे या उसके किसी भाग के लिए 1 रु.

(ख) निरीक्षण के प्रत्येक अतिरिक्त घंटे या उसके किसी भाग के लिए 50 पैसे

(2) उक्त निरीक्षण के लिए फीस नकद ही जाएगी।

3. अपील ट्रायब्यूनल के अधिलेखों और रजिस्ट्रारों की प्रमाणित प्रतियाँ प्रतिप्रत करने के लिए फीस का मापमान : (1) प्रतियाँ देने के लिए प्रतिप्रति फॉल प्रिंट पत्र या उसके किसी भाग के लिए दो रु. होगी।

(2) किन्तु फोटो स्टेट प्रतियाँ देने के लिए प्रतिप्रति फीस ऐसी प्रतियों के लिए अपील ट्रायब्यूनल द्वारा उपरोक्त दारताधिक व्यव होगा।

(3) किसी प्रति को सही प्रति के रूप में अधिप्रमाणित करने के लिए दो रु. फीस उद्धृत की जाएगी।

(4) प्रतिप्रति फीस पहले ही नकद वसूल कर ली जाएगी।

(5) जहाँ कोई पक्षकार आशुलिपिक द्वारा लिखे गए साक्ष्य की तुरंत प्रति चाहता है वहाँ प्रभार्य फीस उस फीस से $2\frac{1}{2}$ गुना होगी जो उपनियम (1) में विनिश्चित की गई है, ऐसे मामले में उपनियम (1) में विनिश्चित फीस का पचास प्रतिशत आशुलिपिक को बिधा जाएगा।

(6) जहाँ कोई प्रति डाक द्वारा भेजी जाए वहाँ आवेक, से वास्तविक डाक प्रसार पहले ही नकद से लिया जाएगा।

4. व्यापति: इस नियम की कोई भी बात किसी भी ऐसे व्यक्ति को किसी रजिस्टर या दस्तावेज का निरीक्षण करने या उसकी प्रति अभिप्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं बनाएगी जिसके लिए वह किसी विधि के अधीन या अपील ट्रायब्यूनल के आदेश द्वारा अन्यथा हकदार नहीं है।

[स 19/89-फा. सं. 664/23/89-ओपियम]

बी. वी. कुमार, अपर सचिव

S.O. 387 (E).—In exercise of the powers conferred by section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Fees) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Scale of fees for inspection of records and registers of the Appellate Tribunal: (1) The fees which shall be paid for the inspection of the records and registers of the Appellate Tribunal shall be the following, namely:—

(a) for the first hour of inspection or part thereof: 1 Rupee

(b) for every additional hour of inspection or part thereof: 50 Paise

(2) Fees for the said inspection shall be paid in cash.

3. Scale of fees for obtaining certified copies of records and registers of the Appellate Tribunal: (1) Copying fees for supply of copies shall be rupees two per page or part thereof.

(2) Copying fees for supply of photostat copies shall, however, be the actual expenses incurred by the Appellate Tribunal for such copies.

(3) A fee of two rupees shall be levied for authenticating a copy to be a true copy.

(4) Copying fees shall be recovered in advance in cash.

(5) Where a party applies for immediate delivery of a copy of evidence taken down by a Stenographer, the fee chargeable shall be $2\frac{1}{2}$ times of those specified by sub-rule (1), in such case, fifty per cent of the fees specified by sub-rule (1) shall be paid to the Stenographer.

(6) When a copy is sent by post, the applicant shall also be charged with the actual postal charges which shall be recovered in advance in cash.

4. Saving: Nothing in these rules shall enable any person to inspect or to obtain a copy of any register or document to which he is not otherwise entitled by or under any law or order of the Appellate Tribunal.

[No. 10/89—F.No. 664/23/89—Opium]

B.V. KUMAR, Addl. Secy.

